(v) श्री उमेश कुमार तिपाठी, अंचलाधिकारी, दि0 28.03.13 से 31.03.13 तक

लेखापाल :–

(i) श्री नवल किशोर प्रसाद, दि0– 1.4.11 से 23.08.11 तक।

(ii) श्री विरेन्द्र प्रसाद, दि0– 24.8.11 से 31.03.13 तक।

नाजीर :–

(i) श्री द्वारिका प्रसाद साह, नाजीर, 01.04.11 से 22.8.11 तक।

(ii) श्री नवल किशोर यादव, नाजीर, 23.8.11 से 02.02.12 तक

(iii) श्री सुमन कुमार सिंहा, नाजीर, 3.2.12 से 1.9.12 तक।

(iv) श्री चन्द्रशेखर प्रसाद यादव, नाजीर, दि0– 02.09.2012 से 31.03.13 तक।

(च) अंकेक्षण में सहयोग देनेवाले पदाधिकारी / कर्मचारी का नाम एवं पदनाम। (i) श्री राजेश्वर प्रसाद नाजीर, संविदा पर

(ii) श्री सुमन कुमार सिंहा, पूर्व नाजीर

(छ) वरीय अंकेक्षकों का नाम :– (1) श्री दिलीप कुमार पोद्दार, व0अं0–2

(2) श्री संजय कुमार, व0अं0–2

(ज) अंकेक्षण प्रारम्भण तिथि :– 14.02.2014

(झ) अंकेक्षण समाप्ति तिथि :– 18.07.2014

(ञ) अंकेक्षण में व्यतीत कार्य दिवस :– 42 दिन।

(ट) अंकेक्षण में प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूचीः– – परिशिष्ट (क) संलग्न है।

(2) अंकेक्षण का क्षेत्र :– वित्त (अंकेक्षण) विभागीय ज्ञापांक :– 3286 दिनांक 15.09.1960 में निहित अनुदेशों के अनुरूप इस कार्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों का अंकेक्षण किया गया।

(1) अंकेक्षण का प्रकार :– सामान्य।

(2) अंकेक्षण का कार्य क्षेत्र :– भू राजस्व की वसूली एवं वसूली की गई राशि को कोषागार में जमा करना। भूमि विवाद का निपटारा, आपदा से प्रभावित जामान्वितों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

(3) वित्तीय स्त्रोत – आवंटन।

आवंटन व्यय विवरणी वर्ष 2011–12 से 12–13 तक क परिशिष्ट ''ख'' पर अंकित है।

(घ) कोषागार अभिलेख से सत्यापन की स्थिति :– शत् प्रतिशत् सत्यापन किया एवं सही पाया।

(ड़) महालेखाकार के पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन की स्थिति :– अंकेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया।

1

बिहार सरकार
वित्त (अंकेक्षण) विभाग
बिहार, पटना

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या 53 / 2014–15

(1) परिचयात्मक

(क) अंकेक्षित लेखा का नाम – :– अंचल कार्यालय, मोकामा, (पटना)।

(ख) अंकेक्षणान्तर्गत लेखावधिः– 2011–12 से 12–13 तक

(ग) प्रशासी विभाग का नामः– राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना।

(घ) अंकेक्षित अवधि के नियंत्री पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं कार्यकाल :– (1) श्री संजय सिंह, जिलाधिकारी, पटना। दि० 01.04.11 से 16.01.13 तक

(1) श्री एन0 श्रवण कुमार, जिलाधिकारी, पटना। दि० 16.01.13 से दि० 31.03.13 तक

(ड़) अंकेक्षित अवधि के लेखा प्रभारी पदा० एवं कर्मचारियों का नाम, पदनाम एवं कार्यकाल :–

(i) श्री वी0 एन0 पाठक, अंचलाधिकारी, दि0– 1.4.11 से 18.08.11 तक।

(ii) श्री उमेश कुमार त्रिपाठी, अंचलाधिकारी, दि0– 18.8.11 से 18.02.13 तक।

(iii) श्री मनोरंजन कुमार, अंचलाधिकारी, दि0– 18.02.13 से 05.03.13 तक।

(iv) श्री विपिन बिहारी सिंह, अंचलाधिकारी, दि0– 05.03.13 से 31.03.13 तक।

3	सीमांकन	75,600.00
4	विविध	1,63,539.00
5	2071 पेंशन	31,500.00
6	पंचायत निर्वाचन	8,000.00
7	2401 कृषि	1,58,300.00
8	2055 पुलिस	8,527.00
9	705 ऋण	67,852.13
10	2235 सा0 सु0	2,30,410.45
11	वृक्ष पटटी योजना	35,206.00
12	2245 आपदा	3,53,581.71
13	बिहार लोक सेवा	7,000.00
	कुल योग :–	13,81,967.51

बैंक पास बुक के अनुसार

				राशि
1	भारतीय स्टेट बैंक ऑफ, मोकामा खाता न0 – 11621680193			2,880.42
2	बैंक ऑफ बड़ौदा खाता सं0– 12180100008710			56880
3	इडियन बैंक मोर 760372869			17,557.00
4	यूनियन बैंक (अप्राप्त)			2,457.00
5	सावधिक जमा (बैंक आफ बड़ोदा में)			1,57,172.00
6	अभिश्रव के रूप में			9,57,561.09
7	अग्रिम में			1,87,060.00
8	डी / एफ0			390.00
9	आई / सी0			10.00
	कुल योग :–			13,81,967.51

सहायक रोकड़ पुस्त शीर्ष 2055 ग्रामीण पुलिस के योग संतुलन एवं सामान्य रोकड़ पुस्त के आय व्यय भाग से मिलाने करने में पाया गया कि रूपये 663667.00 की प्रविष्टि सामान्य रोकड़ पुस्त के आय व्यय भाग में नहीं की गई थी जो खजानों के लिए लेखा नियमावली 1992 के नियम 41 एवं 42 का उल्लंधन है जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक लेन–देन की प्रविष्टि सामान्य रोकड़ पुस्त के आय – व्यय भाग में की जाना चाहिये एवं निकासी व्ययन पदाधिकारी द्वारा सत्यापित होना चाहिये। सहायक रोकड़ पुस्त शीर्ष 2055 की राशियों जो सहायक रोकड़ पुस्त के आय व्यय भाग में नहीं लाई गयी।

क्रमांक	सहायक रोकड़ पुस्त का दिनांक	विपत्र सं0	राशि	अभ्युक्ति
1	23.08.11	61 / 2011–12	21362.00	सामान्य रोकड़ पुस्त में दिनांक 23.08.11 को आय–व्यय शून्य बतलाया गया।
		75 / 2011–12	496452.00	
2	22.09.11	94 / 2011–12	106300.00	सामान्य रोकड़ पुस्त में दिनांक 22.09.11 को आय–व्यय शून्य दिखलाया गया था।
		97 / 2011–12	39553.00	

			663667.00	

(उक्त राशि का अनुपालन अंचल कार्यालय द्वारा नहीं किया गया।)

मांग एवं संग्रहण विवरणी अंचल कार्यालय मोकामा लेखा वर्ष 11–12 एवं 12–13 का परिशिष्ट (घ) पर दिया गया है जिससे पता चलता है कि मांग से कम वसूली की गई थी।

प्रशासी विभाग का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है एवं अंकेक्षण का सुझाव है कि व्यापक स्तर पर अभियान चला कर बकाया राशि की वसूली कर कोषागार में जमा की जाय एवं कृत कार्रवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को अवगत किया जाय।

(i) आवंटन की स्थिति में – क्या आवंटन से अधिक की निकासी की गई है ? – नहीं।

(ii) रोकड़ पंजी में संवरण शेष के राशि की भौतिक सत्यापन की स्थिति – वित्त (अंकेक्षण) विभागीय ज्ञापांक 503 दि0 25.1.1976 के निदेशानुसार अंकेक्षण के लिखित एवं मौखिक अनुरोध पर भी भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया।

प्रशासी विभाग की अंकेक्षण प्रारंभण तिथि 14.02.07 की संवरण शेष की जाँच अपने स्तर से कर लें और वास्तविक स्थिति से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को सूचित किया जाय।

(4) अंकेक्षित कार्यालय के स्वीकृत बल / कार्यरत बल / रिक्त बलों की विवरणी :–

क्र० सं०	पदनाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्त	अभ्युक्ति
1	अंचलाधिकारी	1	1	0	
2	अंचल निरीक्षक	1	0	1	
3	लिपिक	6	5	1	
4	अमीन	1	0	1	
5	राजस्व कर्मचारी	6	3	3	
6	जंजीर वाहक	1	1	0	
7	अनुसेवक	5	2	3	
8	चालक	1	1	0	
9	दफादार	5	2	3	
10	चौकीदार	38	21	17	

प्रशासी विभाग अपने स्तर से जाँच कर एवं रिक्त पदों पर भरने हेतु कार्रवाई के प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को सूचित किया जाय।

भाग – 2

कंडिका – 5. रूपये 2,000.00 वास्तविक राशि से अधिक निकासी एवं भुगतान वसूली योग्य :–

विपत्र पंजी (11–12) वेतन भुगतान पंजी एवं सहायक रोकड़ पुस्त शीर्ष 2029 की मिलान जाँच एवं सत्यापन में पाया गया कि विपत्र सं0– 23 / 2011–12 के द्वारा निम्नांकित कर्मचारियों को रूपये 38280.00 का वेतन मद में भुगतान किया गया था। जबकि यह विपत्र भुगतान पंजी पर रदद् लिखा पाया गया। भुगतान का विवरण निम्नांकित था।

क्रमांक	विपत्र सं0	कर्म0 का नाम	वेतन	जी0या0 भत्ता	मकान किराया	चि0 भ0	कुल योग	भ0 नि. कटौती	ग्रुप बीमा
1	23 / 11–12	दिनेश कुमार सिंह	15670	7052	1567	200	24489	2500	30
2	23 / 11–12	निदेह किशोर	10420	4689	1042	200	16351	2000	30

विपत्र का योग किया गया शुद्ध राशि (निकासी)	भुगतित राशि	वास्तविक राशि	अन्तर राशि
22,959.00	22,959.00	21,959.00	1,000.00
15,321.00	15,321.00	14,321.00	1,000.00
	38,280.00	36,280.00	2,000.00

ध्यातव्य है कि शुद्ध भुगतेय राशि रूपये 36280.00 होना चाहिए भुगतीत राशि 38280.00 निकासी एवं भुगतान पाया गया। इस तरह रू0 2000.00 विपत्र का योग शुद्ध भुगतेय अधिक दिखाकर कोषागार से अधिक निकासी एवं भुगतान पाया गया। निर्गत आपत्ति का अनुपालन नहीं किया जा सका।

अंकेक्षण का सुझाव है कि उच्च पदाधिकारी द्वारा अपने स्तर से इस भुगतान को रद्द अंकित के फलाफल वैधता की जाँच किया जाय, साथ ही अधिक निकासी एवं भुगतान राशि 2000.00 की वसूली दोषी / उत्तरदायी व्यक्ति से कर कोषागार में जमा कर दिया जाए। कृत कार्रवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को सूचित किया जाए।

6. लगान वसूली की राशि रू0 505.00 कम जमा वसूली योग्य :–

वित्तीय वर्ष 2011–12 / 12–13 में हल्का नं0 – 01 एवं 03 में लगान वसूली अभिलेखों के सत्यापन एवं जाँच में पाया गया कि राजस्व संग्रह कर्त्ता द्वारा लगान रसीद द्वारा वसूली गई राशि से कम राशि लगान रोकड़ पुस्त पंजी iii A में अंकित की गई थी तथा

उक्त राशि ही अंचल नजारत मोकामा में जमा किया गया था। विवरण परिशिष्ट "ग" पर अंकित है।

इस प्रकार लगान रसीद से वसूली गई राशि से कम राशि पंजी में 3 ए प्रविष्टि के कारण रूपया 505.00 अंचल नजारत में कम जमा पायी गई।

सरकारी कोष में कम जमा की गई राशि रू0 505.00 संबंधित उत्तर दायी व्यक्तियों दोषी व्यक्तियों पर आवश्यक कार्रवाई सहित से वसूल कर यथाशीघ्र कोषागार में जमा किया जाय एवं वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को सूचित किया जाए।

कंडिका 7. वास्तविक असमायोजित अभिश्रव की राशि से सामान्य रोकड़ पुस्त के संवरण शेष के विस्तृत विवरण में रू0 22812.66 कम दिखाया जाना आपत्तिर्गत :–

अंकेक्षण क्रम में पाया गया कि सामान्य रोकड़ पुस्त दिनांक 31.3.13 का कुल संवरण शेष रूपया 1381967.51 था। जमा के विस्तृत विवरण में दिनांक – 31.03.13 का असमायोजित अभिश्रव की राशि रूपया 957561.09 अंकित कर कुल संवरण का मिलान संवरण शेष के अनुरूप किया गया था। परंतु असमायोजित अभिश्रव की पंजी की जाँच क्रम में दिनांक – 31.03.13 का वास्तविक संवरण (असमायोजित अग्रिम) राशि रू0 980373.75 पाया गया। इस तरह रू0 22812.66 (980373.75 –957561.09) सामान्य रोकड़ पुस्त के जमा विवरण में दिखाई गयी राशि से असमायोजित अभिश्रव अधिक पाया गया।

उपरोक्त स्थिति के संबंध में निर्गत आपत्ति का अनुपालन नहीं किया जा सका फलस्वरूप अंतर का कारण स्पष्ट नहीं हो सका।

उक्त स्थिति में सुझाव दिया जाता है कि प्रशासी विभाग रू0 22812.66 असमायोजित अभिश्रव कम दिखाये जाने की वस्तु स्थिति की छानवीन कर अनुपालन से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, को अवगत करये।

कंडिका 8. अस्थायी अग्रिम रूपये 9650.00 समायोजन हेतु लंबित :–

अस्थायी अग्रिम सहायक रोकड़ पुस्त वर्ष – 2011–12 एवं 12–13 की जाँच क्रम में पाया गया कि विभिन्न व्यक्तियों को अस्थायी अग्रिम रूपये 9650.00 का भुगतान किया गया था। जिसका समायोजन अंकेक्षण समाप्ति तिथि तक था।

विस्तृत विवरण निम्नांकित है

क्रमांक	कर्मचारी का नाम	अग्रिम का विवरण	भुगतान की तिथि	राशि	अभ्युक्ति
1	शिवराज शर्मा, राजस्व कर्मचारी	विवरण अंकित नहीं	8.06.11	6650.00	
2	सुमन कुमार सिंह,	पत्नी की	04.12.12	3000.00	

	लिपिक अंचल कार्यालय मोकामा	चिकित्सा हेतु			
			योग :–	9650.00	

अंकेक्षण अवधि से पूर्व का भी अग्रिम रूपये 177410.00 भी काफी दिनों से समायोजन हेतु लंबित था।

अतः पूर्व का अग्रिम रूपये 177410.00 एवं अंकेक्षण अवधि का समायोजन हेतु लंबित रूपये 9650.00 की वसूली अथवा समायोजन हेतु कार्रवाई की जाय एवं कृत कार्रवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, को सूचित किया जाए।

कंडिका 9. आय पक्ष में प्रविष्ट राशि 5070.00 का जाँचोपरांत प्रविष्टि कर नियमित करने का सुझाव :–

वेतन भरपाई नहीं विपत्र पंजी एवं शीर्ष 2029 एवं 2055 सहायक रोकड़ पुस्त से जाँच सत्यापन क्रम में पाया गया कि निम्नांकित विवरणी में अंकित कुल रू0 3070.00 की प्रविष्टि वास्तविक विपत्र से निकासी राशि के रोकड़ पुस्त के आय पक्ष में कम अंकित की गयी थी तदनुरूप व्यय अंकित किया गया था। स्पष्ट है कि वेतन की निकासी के पश्चात कर्मियों के खाते में राशि स्थानांतरित कर भुगतान किया जाता है। फलस्वरूप वास्तविक निकासी एवं

भुगतान से रोकड़ पुस्त के आय एवं व्यय पक्ष में कम प्रविष्टि का सुधार कम प्रविष्टि राशि का पुनः प्रविष्टि कर नियमित कर लिया जाए। कम अंकित राशियों की विवरणी निम्नवत् है।

क्र० सं०	विपत्र सं0	शीर्ष एवं मद	विपत्र की राशि	सहायक रोकड़ पुस्त के आय एवं व्यय में अंकित राशि	अंतर कम प्रविष्टि राशि	निकासी तिथि
1	106 / 2011-12	शीर्ष 2029	53,076.00	48,076.00	5,000.00	11-11-11
2	134 / 2012-13	शीर्ष 2055	1,36,884.00	1,36,884.00	40.00	28-12-12
3	198 / 2012-13	शीर्ष 2055	49,285.00	49,255.00	30.00	21-03-13
					5,070.00	

कंडिका 10. रू0 263.00 आय पक्ष में अंकित कर नियमित करने का सुझाव :–

शीर्ष 2055 ग्रामीण पुलिस के सहायक रोकड़ पुस्त के योग संतुलन की जाँच में पाया गया कि दिनांक 01.09.12 के अंकित व्यय का कुल वास्तविक योग रूपये 463779.00 होता है। किन्तु रोकड़ पुस्त में व्यय का योग रूपया 464042.00 दिखलाया गया था। जिसे सामान्य रोकड़ पुस्त में भी अंकित पाया गया। इस प्रकार संवरण शेष में 263.00 की कमी हो गई। चूकि दि0 31.3.13 को संवरण शेष के विरूद्ध असमायोजित अग्रिम के रूप में अधिक राशि पाई गई है।

अतः सुझाव दिया जाता है कि रू0 263.00 की प्रविष्टि आय पक्ष में अंकित कर संवरण शेष संतुलित कर ली जाए। प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को सूचित किया जाय।

कंडिका 11. अग्रिम रू0 1798300.00 का अभिश्रव अप्रस्तुत आपत्तिन्तर्गत :–

अग्रिम सहायक रोकड़ पुस्त एवं सहायक रोकड़ पुस्त शीर्ष 2245 लेखा वर्ष 11–12 की जाँच में पाया गया कि विभिन्न ग्राम पंचायतों के लिए सूखा राहत मद में दिये गए अग्रिमों का समायोजन दिखलाया गया था। समायोजन से संबंधित अग्रिम राशि का विवरण निम्नांकित पाया गया।

क्रमांक	अग्रिम प्राप्त करने वाले कर्मचारी का नाम	अग्रिम का विवरण	राशि	अग्रिम भुगतान की तिथि	अग्रिम समायोजन तिथि
1	श्री दिनेश सिंह	ग्राम पंचायत औंटा (सूखा राहत वितरण)	270750.00	04.04.11	04.04.11
2	श्री शिवराज शर्मा	ग्राम पंचायत वरहपुर (सूखा राहत वितरण)	343650.00	08.06.11	08.06.11
3	.....	ग्राम पंचायत मराँची,	145200.00	15.06.11	15.06.11

		उत्तरी (सूखा राहत वितरण)			
		ग्राम पंचायत मराँची, दक्षिणी (सूखा राहत वितरण)	494800.00	15.06.11	15.06.11
4	.....	(i) ग्राम पंचायत हाथीदह, दक्षिणी (सूखा राहत वितरण)	140400.00	18.6.11	18.6.11
			65250.00	18.6.11	18.6.11
	(ii) ग्राम पंचायत कसहा दियरा (सूखा राहत वितरण)	विकलांग	104850.00	18.6.11	18.6.11
		विधवा	88200.00	18.6.11	18.6.11
		निः शरक	19800.00	18.6.11	18.6.11

		वृद्ध	125400.00	18.6.11	18.6.11
		कुल रूपये	1798300. 00		

अंकेक्षण आपत्ति के द्वारा समायोजित राशि का अभिश्रव एवं अनुश्रव समिति की अनुशंसा प्रतिवेदन तथा विभागीय दिशा निर्देश की मांग की गई अंकेक्षण समापन तिथि तक कोई जबाब नहीं दिया गया। मोखिक जबाब दिया गया कि इसकी जानकारी तत्कालीन अंचला धिकारी ही दे पायेगें। अंकेक्षण के जाँच में निम्नांकित बातें भी प्रकाश में आई।

(1) इतनी बड़ी राशि का भुगतान तिथि एवं समायोजन तिथि समान है।

(2) इतनी बड़ी राशि का वितरण करते समय अंचल गार्ड कर्मियों का इस्तेमाल नहीं किया गया।

(3) अभिलेख से ज्ञात हुआ कि अंचल जीप का उपयोग पर्यवेक्षण हेतु पदाधिकारी द्वारा उपरोक्त तिथि को नहीं किया पाया गया।

प्रशासी विभाग का ध्यान उपरोक्त तथ्यों की ओर आकृष्ट करते हुए अपने स्तर से वास्तविकता की जाँच एवं सत्यापन हेतु आकृष्ट किया जाता है। तबतक यह राशि रूपये 1798300.00 का भुगतान एवं व्यय आपत्तिन्तर्गत रखी जाती है।

कृत कार्रवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को अवगत कराया जाए।

कंडिका 12. रू0 196581.00 का अंकित व्यय भुगतान पंजी में दर्ज नहीं वास्तविकता की छानवीन को सुझाव :–

शीर्ष 2055 के वेतन भुगतान पंजी एवं सहायक रोकड़ पुस्त की जाँच एवं सत्यापन में राशि 196581.00 का भुगतान व्यय वेतन भत्ते एवं बकाया राशि विभिन्न तिथियों में रोकड़ पुस्त में अंकित किया गया था लेकिन निम्नांकित विपत्रों द्वारा भुगतीत राशि का उल्लेख भुगतान पंजी में नहीं पाया गया। अंकित व्यय का विवरण निम्नांकित है।

क्रमांक	विपत्र सं0	भुगतान पाने वाला का नाम	राशि	रोकड़ पुस्त में दर्ज दिनांक	अभ्युक्ति
1.	12 / 11–12	अवनीकांत सिंह, यदु पासवान, युगल किशोर पासवान	12445.00	37141.00 / 23.5.11	5 /24.5.11 T.V. No.
			12445.00		
			12251.00		
2	13 / 11–12	अवनीकांत सिंह,	तदैव	37141.00 /	2/24.5.11

		यदु पासवान, युगल किशोर पासवान		23.5.11	
3	55 / 11–12	अवनीकांत सिंह, यदु पासवान, युगल किशोर पासवान	2024.00	6044.00 / 23.5.11	4 /18.7.11
			1996.00		
			2024.00		
4.	56 / 11–12	अवनीकांत सिंह, यदु पासवान, युगल किशोर पासवान	12851.00	38351.00 / 15.7.11	6 /18.7.11
			12851.00		
			12649.00		
5	57 / 11–12	अवनीकांत सिंह, यदु पासवान, युगल किशोर पासवान	तदैव	38351.00 / 15.7.11	5 /18.7.11

6	92 / 11–12	अवनीकांत सिंह, यदु पासवान, युगल किशोर पासवान	13257.00	39553.00 / 15.7.11	8 /22.9.11
			13257.00		
			13039.00		
			कुल योग :–	196581.00	

आपत्ति निर्गत की गई। अनुपालन नहीं किया गया। प्रशासी विभाग का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है। कि उपरोक्त राशि के भुगतान की वास्तविकता की जाँच एवं वेतन भापाई वही में दर्ज की स्थिति सुनिश्चित कर फलाफल से वित्त (अं0) विभाग को सूचित किया जाय।

कंडिका 13. रू0 101762.00 के भुगतान के संबंधित कागजात अनुपलब्ध आपत्तिअन्तर्गत :–

वेतन भुगतान पंजी एवं सहायक रोकड़ पुस्त शीर्ष 2029 लेखा वर्ष 11–12 की जाँच एवं सत्यापन में पाया गया कि श्री शिवराज शर्मा, राजस्व कर्मचारी मोकामा को बकाया वेतन का भुगतान किया गया था। भुगतान निम्नरूपेण किया गया था।

क्रमांक	मद का नाम	विमा सं0/ टी0 भी0 न0	वेतन	जी0 यापन भत्ता	मकान किराया	चि0 भ0	कुल योग	ग्रप बीमा	शुद्ध भुगतीत राशि
1	दि0 08 (7 दिन का)	268 / 11–12/ p 20290017 / 30.7.11	1819	291	136		2246		2246
2.	जन0 09 से जून 09 = 6 माह	भुगतान तिथि / 16.8.11	8300×6 = 49800	1826×6 = 10956	623×6 = 3738	200×6 = 1200	65694	30×6 = 180	65514
3	जु0 09 से सित0 09 = 3 माह	भुगतान तिथि / 16.8.11	8300×3 = 24900	2241×3 = 6723	623×3 = 1869	200×3 = 600	34092	30×3 = 90	34002
							कुल योग :–		101762. 00

आपत्ति निर्गत करके कार्यालय से स्वीकृत्यादेश एवं छुटटी लेखा का विवरण आदि को मांग की गई लेकिन अंकेक्षण को समुचित जानकारी नहीं दी गई। फलतः भुगतीत राशि की वास्तविकता की जाँच नहीं की जा सकी।

प्रशासी विभाग का ध्यान इसकी ओर आकृष्ट किया जाता है एवं सुझाव दिया जाता है। उपर्युक्त अभिलेखों के आधार पर भुगतान की वास्तविकता की जाँच कर अनुपालन से अंकेक्षण को अवगत कराया गया। तत्काल रू0 101762.00 का भुगतान आपत्तिन्तर्गत रखी जाती है।

कंडिका 14. रू0 2457.00 जमा की स्थिति अस्पष्ट स्पष्ट करने का सुझाव :–

अंकेक्षण में पाया गया, कि अंचल कार्यालय मोकामा का संवरण शेष दिनांक – 31.3.13 का 1381967.51 था। इसकी जमा की विस्तृत विवरणी की जाँच में पाया गया कि यूनियन बैंक के खाता में रूपया 2457.00 जमा दिखलाया गया था परन्तु अंकेक्षण में संबंधित पासबुक, पासबुक न0, बैंक का नाम एवं विवरण उपलब्ध नहीं कराया जा सका फलस्वरूप जमा राशि का सत्यापन नहीं किया जा सका। वर्तमान नाजीर ने बतलाया कि यह राशि पूर्व से चली आ रही है। कार्यालय में इससे संबंधित पासबुक एवं कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं है।

प्रशासी विभाग का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त जमा राशि की विस्तृत जाँच अपने स्तर से भी किया जाय एवं की गई कार्रवाई से वित्त (अंकेक्षण)

विभाग, बिहार, पटना को अवगत कराया जाए। विपरीत परिस्थिति में दोषी व्यक्ति से राशि वसूली योग्य होगी।

कंडिका 15. रू0 2819.00 वाहन इंधन मद का अभिश्रव अप्रस्तुत आपत्ति अन्तर्गत :–

आकस्मिक पंजी शीर्ष 2029 के अभिश्रवों की जाँच में पाया गया कि वाहन इंधन मद में व्ययगत राशि की निकासी विपत्र सें0 185 / 12–13 द्वारा की गई थी जिससे संबंधित अभिश्रव अंकेक्षण में नहीं दिखलाया गया। निम्नांकित अभिश्रव अंकेक्षण में अप्रस्तुत रहा ।

क्रम सं0	अभिश्रव सं0	फार्म का नाम	राशि	भुगतान की तिथि
1	47 /12–13	पीट स्टोन पाटलिपुत्रा पटना	1948.95	19.03.13
2	90 /12–13	अपूर्व पेट्रोसेल्स कंकड़बाग	870.00	19.03.13
		योग :–	2818.95	2819.00

प्रशासी विभाग इसकी जाँच अपने स्तर से भी कर लें और कृत कार्रवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को अवगत कराया जाए। तबतक रूपया 2819.00 आपत्ति अन्तर्गत रखी जाती है।

भाग – 3

16 बैंक आफ बड़ौदा के सावधिक खाते में जमा राशि रूपया 185274.00 कोषागार में जमा करने का सुझाव :–

अंचल कार्यालय मोकामा के दिनांक – 31.03.13 के सवंरण शेष में रूपया 1381967.51 पायी गई। इसके बैंक पासबुक के अनुसार जमा राशि की जाँच एवं सत्यापन में पाया गया कि अंचल पदाधिकारी मोकामा के नाम से दिनांक 24.09.94 को बैंक ऑफ बड़ौदा, मोकामा में रू0 42093.00 सावधिक जमा के रूप में तत्कालीन अंचलाधिकारी, मोकामा ने जमा कराया था। कारण पृच्छा करने पर वर्त्तमान नाजीर (संविदा पर) कुछ भी बतलाने से इनकार किया। यह अंचल व्यापारिक संस्था नहीं है। यह कृत छोर वित्तीय अनियमितता का परिचायक है। दिनांक 31.12.13 तक इसका मूल्य रूपये 185274.00 है पाया गया जो कोषागार में जमा योग्य है। भविष्य में इस प्रकार के कृत्य से बचने का सुझाव दिया जाता है। इस राशि को निकासी कर कोषागार में जमा किया जाय।

प्रशासी विभाग का ध्यान इस वित्तीय अनियमितता की ओर घ्यान आकृष्ट किया जाता है एवं कोषागार में जमा करवाने का सुझाव दिया जाता है। प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को अवगत कराया जाय।

17 कुल रूपया 227995.13 कोषागार में जमा करने का सुझाव :–

(क) वृक्ष पटटा योजना के संवरण शेष की राशि 35206.00 कोषागार में जमा करने का सुझाव :–

शीर्ष वृक्ष पटटा् योजना के सहायक रोकड़ पुस्त की जाँच एवं सत्यापन में पाया गया कि दिनांक 02.02.99 से अनावश्यक रूप से दिनांक – अंकेक्षण समाप्ति तक संवरण शेष के रूप में पड़ी हुई थी। जो बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 176 एवं 177 के प्रतिकूल है। साथ ही इस प्रकार से राशि रहने पर गबन एवं दुर्विनियोग की भी संभावना रहती हैं। अतः उक्त राशि को अविलम्ब कोषागार में जमा किया जाय।

(ख) शीर्ष 705 ऋण के संवरण शेष की राशि 67852.13 कोषागार में जमा योग्य :–

शीर्ष 705 ऋण के स0 रो0 पुस्त की जाँच एवं सत्यापन क्रम में पाया गया कि दिनांक 02.02.99 से दिनांक – 31.3.13 तक संवरण शेष के रूप में निष्प्रोयजन अग्रजीत किया जा रहा है। इस प्रकार की राशि अनावश्यक रूप से पड़ी रहने पर राशि के गबन एवं दुर्विनियोग की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता।

अतः उक्त राशि रूपये 67852.13 को कोषागार के उचित शीर्ष में जमा किया जाय।

(ग) शीर्ष सीमांकन की राशि 75600.00 कोषागार में जमा योग्य :–

स0 रो0 पुस्त शीर्ष सीमांकन की जाँच एवं सत्यापन क्रम में पाया गया कि दिनांक 31.03.13 को संवरण शेष के रूप में रूपये 75600.00 अनावश्यक रूप से पड़ी है। उक्त राशि को लोकहित में कोषागार के उचित शीर्ष में यथाशीघ्र जमा किया जाय।

(घ) शीर्ष पंचायत निर्वाचन की राशि 8000.00 कोषागार में जमा योग्य :–

स0 रो0 पुस्त शीर्ष पंचायत निर्वाचन 2001 की जाँच एवं सत्यापन क्रम में पाया गया कि दिनांक 31.03.13 को संवरण शेष के रूप में रूपये 8000.00 लम्बे अर्से से अनावश्यक रूप से पड़ी है। उक्त राशि को कोषागार में उचित शीर्ष में जमा किया जाय।

(ड़) रूपये 41337.00 की अधिक निकासी जमा योग्य :–

वेतन भुगतान पंजी लेखा वर्ष 12–13 शीर्ष 2029 की जाँच में पाया गया कि किसी कर्मचारी को रूपये 103343 का 60 % = 62006 रूपया भुगतान करना था लेकिन कार्यालय द्वारा विपत्र सं0 153/12–13 द्वारा मूल राशि रू0 103343.00 की निकासी कर ली गई। इस प्रकार रूप 103343.00 – रू0 62006.00 = रू0 41337.00 की अधिक निकासी कर ली गई जो बिहार कोषागार संहिता के भाग–1 के नियम 300 के विपरीत है। टी0 भी0 न0 04/11.03.13 पाया गया।

प्रशासी विभाग का ध्यान इस वित्तीय अनियमितता की ओर आकृष्ट किया जाता है एवं अंकेक्षण का सुझाव है कि उपरोक्त राशि रू0 41337.00 उचित शीर्ष में कोषागार में जमा करावाया जाय एवं प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाय।

इस प्रकार उप कंडिका क + ख + ग + घ + ड़ में अंकित राशि क्रमशः रू0 35206.00 + 67852.13 + 75600.00 + 8000 एवं 41337.00 कुल रू0 227995.13 कोषागार में जमा कर अनुपालन से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाय।

18. सामान्य सुझाव :–

(i) अभिश्रवों का संधारण अव्यवस्थित :– कार्यालय में अभिश्रवों का संधारण काफी अव्यवस्थित पाया गया। अंकेक्षण का सुझाव है कि सभी शीर्षो का अभिश्रव वर्षवार क्रमानुसार पंच दल में रखा जाय।

(ii) आवंटन पंजी एवं प्रत्यार्पण पत्र :– कार्यालय में आवंटन पंजी एवं प्रत्यार्पण से संबंधित अभिलेखों का संधारण नियमानुसार नहीं किया पाया गया। फलतः अंकेक्षण को आवंटन – व्यय विवरणी बनाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। भविष्य में इसकी रख रखाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

(iii) सा0 रो0 पुस्त एवं स0 रो0 पुस्तों में लिप्त लेखन पाया गया। लिप्त लेखन में कर्मी एवं लिप्त लेखन पदाधिकारी द्वारा सत्यापित होना चाहिए।

(iv) सा0 रो0 पुस्त एवं स0 रो0 पुस्तों के संवरण शेष का भौतिक सत्यापन माह में एक बार अवश्य की जानी चाहिए इससे पदाधिकारी का मौखिक गतिविधि पर नियंत्रण रहता है। भविष्य में पालन दृढ़तापूर्वक की जाए।

(v) सा0 रो0 पुस्त शीर्ष 2245 में बैंक आफ बड़ौदा से वापस एवं सूद की राशि रूपये 140890.00 दिनांक 28.4.11 को प्राप्ति दिखलाया गया था। इसे कोषागार के उचित शीर्ष में जमा करवाया जाय। (वित्त विभागीय ज्ञापांक – 101– 78–1946 वित्त दि0 14.02.79)

उप लेखा नियंत्रक
वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना।

मिलान एवं शुद्धि कर्त्ता का ह0
राकेश रंजन श्रीवास्तव, व0अं0–2

परिशिष्ट " क "

(कंडिका 1 "ट" से संबंधित)

अंकेक्षण में प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :–

प्रस्तुत अभिलेख

1 सामान्य रोकड़ पंजी – वर्ष 2011–12 से 2012–13

2 सहायक रोकड़ पंजी, (सभी शीर्षो का) – वर्ष 2011–12 से 2012–13

3 विपत्र पंजी – वर्ष 2011–12 से 2012–13

4 नाजीर रसीद वही – वर्ष 2011–12 से 2012–13

5 चलान पंजी :– वर्ष 2011–12 से 2012–13

6 वेतन भुगतान पंजी (शीर्ष 2029, 2055) – वर्ष 2011–12 से 2012–13

7 हल्का राजस्व वसूली अभिलेख

8 राजस्व वसूली सं0 संबंधित वही – 2011–12 से 2012–13

9 पंजी तीन ए हल्का नं. 1,2,3,5,6

10 राजस्व वसूली से संबंधित रसीदों का भंडार पंजी – 2011–12 से 2012–13

11 अग्रिम सहायक रोकड़ पुस्त – 2011–12 से 2012–13

12 मांग एवं संग्रहण अभिलेख – 2011–12 से 2012–13

(ख) अप्रस्तुत अभिलेख की सूची :–

1 लॉग बुक गाड़ी नं0 बी0 आर0 01 पी0 डी0 3247– 2011–12 से 2012–13

2 सैरात पंजी एवं सैरात योजना अभिलेख

3 सेवा पुस्त

4 आवंटन एवं व्यय पंजी एवं संगत पत्र

5 हल्का सं0 – 04

6 यात्रा भत्ता की कार्यालय प्रति

8 आंवटन एवं प्रत्यार्पण का पत्र शीर्ष 2055 वर्ष 11–12

कंडिका 3 से संबंधित परिशिष्ट "ख"

आवंटन – व्यय विवरणी (वितीय वर्ष – 2011–12) :–

क्र० सं०	शीर्ष / मद का नाम	प्राप्त आवंटन	व्यय	बचत	प्रत्यार्पण की राशि	अभ्युक्ति
1	2029 वेतन	32,32,569.00	32,32,569.00	0.00	0.00	
2	मंहगाई भत्ता	14,20,903.00	13,90,484.00	30,419.00	30,419.00	प्रत्यार्पण की गई।
3	यात्रा व्यय	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	
4	कार्यालय व्यय	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	
5	वाहन (इंधन)	0.00	0.00	0.00	0.00	प्रत्यार्पण की गई।
6	वर्दी	8,850.00	8,700.00	150.00	150.00	
7	लोक सेवा का अधिकार	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	

आवंटन एवं व्यय विवरणी (वितीय वर्ष – 2011–12) :–

क्र० सं०	शीर्ष / मद का नाम	प्राप्त आवंटन	व्यय	बचत	प्रत्यार्पण की राशि	अभ्युक्ति
1	2245 सुखा राहत	1,00,000.00	99,000.00	1,000.00	1,000.00	
		6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	प्रत्यार्पण से संबंधित पत्र नहीं दिखलाया गया जिला पदा० का पत्राक 916 / 3. 8.11 से आवंटन प्राप्त।
		1,06,000.00	1,05,000.00	1,000.00	1,000.00	

कंडिका 3 से संबंधित परिशिष्ट ख						
आवंटन एवं व्यय विवरणी (वितीय वर्ष – 2011–12) :–						
क्र० सं०	शीर्ष / मद का नाम	प्राप्त आवंटन	व्यय	बचत	प्रत्यार्पण की राशि	अभ्युक्ति
1	2235 शीत लहर	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
		2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	

आवंटन एवं व्यय विवरणी (वितीय वर्ष – 2011–12) :–						
क्र० सं०	शीर्ष / मद का नाम	प्राप्त आवंटन	व्यय	बचत	प्रत्यार्पण की राशि	अभ्युक्ति
1	2055 ग्रामीण पुलिस / वेतन	13,05,850.00	0.00	0.00	0.00	
	महगाई वेतन	6,16,720.00	0.00	0.00	0.00	
		19,22,570.00	19,22,570.00	0.00	0.00	

कंडिका 3 से संबंधित परिशिष्ट "ख"						
आवंटन एवं व्यय विवरणी (वितीय वर्ष – 2012–13) :–						
क्र० सं०	शीर्ष / मद का नाम	प्राप्त आवंटन	व्यय	बचत	प्रत्यार्पण की राशि	अभ्युक्ति
1	2029 भू राजस्व वेतन / मंहगाई भत्ता	55,40,000.00	52,80,804.00	2,59,196.00	2,59,196.00	वेतन में 108863 म0 भत्ता में 150333 259196 का प्रत्यार्पण।
	कार्यालय व्यय	11,000.00	2,627.00	8,373.00	8,373.00	
	वर्दी	2,700.00	0.00	2,700.00	2,700.00	प्रत्यार्पण की गई।
	वाहन (इंधन)	60,000.00	14066.00	45934.00	45934.00	
	यात्रा व्यय	8000.00	0.00	8000.00	8000.00	प्रत्यार्पण से संबंधित पत्र नहीं दिया गया।
	लोक सेवा का अधिकार	2,11,210.00	124389.00	86821.00	86821.00	
2.	शीर्ष 2055 ग्रामीण पुलिस	वेतन एवं महगाई भत्ता सहित	5568400	5116001.00	452399	प्रत्यार्पण से संबंधित पत्र नहीं।

कंडिका 3 से संबंधित परिशिष्ट ख

क्र० सं०	शीर्ष / मद का नाम	प्राप्त आवंटन	व्यय	बचत	प्रत्यार्पण की राशि	अभ्युक्ति
1	2245 (साहाय्य) सुखा राहत	38,000.00	37,864.00	0.00	136.00	प्रत्यार्पण अंचल पदा0 मोकामा के पत्रांक 151 / 29.03. 13
		38,000.00	37,864.00	0.00	136.00	

आवंटन एवं व्यय विवरणी (वितीय वर्ष – 2011–12) :–

क्र० सं०	शीर्ष / मद का नाम	प्राप्त आवंटन	व्यय	बचत	प्रत्यार्पण की राशि	अभ्युक्ति
1	2235 समाजिक सुरक्षा / शीतलहर	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	प्रत्यार्पण अंचल पदा0 मोकामा के पत्रांक 151 / 29.03. 13
		6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	

कंडिका 9 से संबंधित परिशिष्ट "ग"							
क्र० सं०	हल्का नं.	राजस्व कर्मचारी का नाम	लगान रसीद / दिनांक	लगान रसीद की कुल राशि	पंजी तीन ए में दर्ज राशि	अन्तर राशि	अभ्युक्ति
1	1	शिव प्रसाद शर्मा	303639 / 13-9-11	180.50	172.50	8.00	
2	1	शिव प्रसाद शर्मा	353477 / 4-9-11	91.40	90.20	1.20	
3	1	शिव प्रसाद शर्मा	303549 / 19-9-11	39.95	39.20	0.75	
4	1	शिव प्रसाद शर्मा	328403 / 30-9-11	33.30	32.30	1.00	
5	1	शिव प्रसाद शर्मा	328414 / 30-9-11	112.10	111.10	1.00	
6	1	शिव प्रसाद शर्मा	328418 / 30-9-11	78.80	58.80	20.00	
7	1	शिव प्रसाद शर्मा	328431 / 30-9-11	206.00	196.00	10.00	
8	1	शिव प्रसाद शर्मा	328508 / 2-11-11	14.70	0.00	14.70	पंजी 3 ए में दर्ज नहीं
9	1	शिव प्रसाद शर्मा	373393 / 18-3-12	835.00	735.00	100.00	
10	1	शिव प्रसाद शर्मा	056450 / 30-9-12	25.00	5.00	20.00	
11	1	शिव प्रसाद शर्मा	787534 /23-3-13	688.00	588.00	100.00	
12	1	शिव प्रसाद शर्मा	787535 /23-3-13	413.60	313.60	100.00	
13	1	शिव प्रसाद शर्मा	787547 /23-3-13	290.00	250.00	40.00	
14	1	शिव प्रसाद शर्मा	328075 /23-3-13	500.00	425.00	75.00	
15	3	शिव प्रसाद शर्मा	303244 / 19-8-11	13.35	0.00	13.35	पंजी 3 ए में दर्ज नहीं
					योग	505.00	

कंडिका 3 से संबंधित परिशिष्ट "घ"

वर्ष 2011–12 मांग एवं संग्रहण विवरणी अंचल मोकामा।

		मांग वर्ष 11–12			मांग वर्ष 11–12 की गई कुल वसूली			वसूली हेतू शेष राशि		
क्र० सं०	मद	बकाया	हाल	कुल	बकाया	हाल	कुल	बकाया	हाल	कुल
1	रेंट (माल)	1,22,774.00	2,33,942.00	3,56,716.00	58,878.00	57,878.00	1,16,756.00	63,896.00	1,76,064.00	2,39,960.00
2	शेष	30,694.00	58,485.00	89,179.00	19,303.00	17,054.00	36,357.00	11391.00	41,431.00	52,822.00
3	शिक्षा शेष	61,387.00	1,16,971.00	1,78,358.00	33,628.00	33,110.00	66,738.00	27,759.00	83,861.00	1,11,620.00
4	स्वास्थ्य शेष	61,387.00	1,16,971.00	1,78,358.00	31,629.00	33,110.00	64,739.00	29,758.00	83,861.00	1,13,619.00
5	कृषि शेष	24,563.00	46,788.00	71,351.00	19,995.00	1,67,951.00	1,87,946.00	4,568.00	-121163.00	-116595.00
6	सूद / विविध	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	3,00,805.00	5,73,157.00	8,73,962.00	1,63,433.00	3,09,103.00	4,72,536.00	1,37,372.00	264054.00	401426.00

कंडिका 3 से संबंधित परिशिष्ट "घ"										
वर्ष 2012–13 मांग एवं संग्रहण विवरणी वर्ष 12–13 अंचल मोकामा।										
		मांग वर्ष 12–13			मांग वर्ष 12–13 की गई कुल वसूली			वसूली हेतू शेष राशि		
क्र० सं०	मद	बकाया	हाल	कुल	बकाया	हाल	कुल	बकाया	हाल	कुल
1	रेंट (माल)	1,22,774.00	2,33,942.00	3,56,716.00	1,06,195.50	1,12,691.50	2,18,887.00	16,578.50	1,21,250.50	1,37,829.00
2	शेष	30,694.00	58,435.00	89,129.00	28,106.00	28,383.00	56,489.00	2,588.00	30,052.00	32,640.00
3	शिक्षा शेष	61,387.00	1,16,971.00	1,78,358.00	54,431.25	4,56,176.75	110603.00	6,955.75	60,799.25	67,755.00
4	स्वास्थ्य शेष	61,387.00	1,16,971.00	1,78,358.00	54,431.25	4,56,176.75	110603.00	6,955.75	60,799.25	67,755.00
5	कृषि शेष	24,563.00	46,788.00	71,351.00	26,661.00	24,461.00	51,122.00	2,098.00	22,327.00	20229.00
6	सूद / विविध	1,544.00	0.00	1,544.00	1,544.00	0.00	1,544.00	0.00	0.00	0.00
7	सैरात	0.00	10,030.00	10,030.00	0.00	9,671.00	9,671.00	0.00	359.00	359.00
	कुल	3,02,349.00	5,83,137.00	8,85,486.00	2,71,369.00	287550.00	558919.00	30980.00	2,95,587.00	326567.00